न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 550/16–17

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

असियन गुड़िया – विक्रेता

पतरस भेंगरा – क्रेता

वाद की क्रम संख्या और तारीख		
06.08.18	**आदेश** आवेदक/आवेदिका श्री असियन गुड़िया पिता स्व0 नवीन गुड़िया ग्राम कमड़ा(शांतिनगर), थाना तोरपा, जिला खूँटी ने पतरस भेंगरा पिता स्व0 थोमस भेंगरा ग्राम कमड़ा(शांतिनगर), थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
कमड़ा	69	122	3138	0.16

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 2063952 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 244 दिनांक 08.05.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम दाऊद मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार दाऊद मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 37.57½ एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 4.44 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2008–09 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 1523.00(एक हजार पाँच सौ तेईस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्र य के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 4.28 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रे ता–वि क्रेता को भूमि क्र य–वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री असियन गुड़िया पिता स्व0 नवीन गुड़िया को पतरस भेंगरा पिता स्व0 थोमस भेंगरा के साथ ग्राम कमड़ा के खाता सं0 122 खेसरा संख्या 3138 का रकबा 0.16 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1523.00(एक हजार पाँच सौ तेईस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्र य की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

3/8/18 (हस्ताक्षर)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

3/8/18 (हस्ताक्षर)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।